शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रति निजि विद्यालयों के अध्यापकों तथा अध्ययनरत विद्यार्थियों के अभिभावकों की अभिवृत्ति का अध्ययन

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'

डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध प्रबंध की रूपरेखा

निर्देशिका
प्रो.डॉ. मंजू शर्मा
शिक्षा विभागाध्यक्ष

शोधकर्त्ता
अमित कुमार
JVR-1/20/3009

शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग,
अनुसंधान और कार्यप्रणाली संकाय
ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय
जयपुर (राजस्थान) भारत

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रति निजी विद्यालयों के अध्यापकों तथा अध्ययनरत विधि विद्यार्थियों के अभिभावकों की अभिवृति का अध्ययन

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपने देश में शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ। पहले कुछ लोगों तक ही सीमित थी। लेकिन वर्तमान में शिक्षा का स्वरूप एवं क्षेत्र ही बदलता जा रहा है। आज शहरों एवं कस्बों में शिक्षा का व्यवसायिकरण तेजी से हो रहा है। धनवान लोग पूँजी के बल में साधन सम्पन्न शाला खोल रहे हैं। जिनमें धनवान लोग अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में सक्षम है। लेकिन समस्या यह है कि इस भारत देश में आज भी ग्रामीण क्षेत्रों, ढाणियों एवं शहरों की कच्ची बस्तीयों में 22 से 26 प्रतिशत लोग ऐसे है जो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने में आर्थिक रूप में असमर्थ हैं। अवसरों में असन्तुलन बढ गया रहा है। अब विचारणीय प्रश्न यह बताता है कि जो परिवार एवं बच्चे शिक्षा में रूचि रखते हैं वह प्रतिभाशाली है एवं साथ ही साधनहीन एवं पिछड़े वर्गों के हैं। उनको शिक्षा कैसे दी जाये। इसी समस्या के समाधान के लिए सरकार ने समय–समय पर अनेक शिक्षा नीतियां बनायी है।

1773 ई. में चार्ल्स ग्रांट भारत आया उसनें भारत में शिक्षा दी जाने की राय जताई, जिससे ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 1953 ई. का शिक्षा आज्ञा पत्र पारित किया

1823 ई. में शिक्षा को एल्फिन्सटन विवरण पत्र में भारत में विद्यालयों की संख्या बढ़ाने एवं आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में राजकीय धन से भवन निर्माण की योजना बनाई गयी।

1835 ई. में मैकाले का शिक्षा पत्र घोषित किया गया जो महत्वपूर्ण था। वुडका घोषणा पत्र 1854 (Wood's Des Patch) यह भारत में शिक्षा नीति का नवीनीकरण था वहीं से भारत के इतिहास में एक नया शिक्षा युग शुरू हुआ था।

1882 ई. में हंटर आयोग पारित किया गया था। जिसका उद्देश्य अनुदान पद्धति की जांच करना एवं प्राथमिक शिक्षा की अध्ययन समस्याओं में सुधार करना था।

1917–19 ई. में सैलडर आयोग पारित किया गया। वह उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार से सम्बन्धित था। 1937–39 ई. में वर्धा शिक्षा योजना में गांधीजी ने प्राथमिक शिक्षा की योजना

पर जोर दिया इसमें 7 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी।1944 ई. में सार्जेन्ट योजना बनाई गई थी जिसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली को पुनः व्यवस्थित करना था। इसमें बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। 1952–53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन भारत सरकार ने किया जिसमें अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई थी।

1964–66 में भारतीय शिक्षा आयोग जिसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। गठित किया गया था। इसमें प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य के साथ साथ पाठ्य पुस्तकें भी निःशुल्क एवं अनिवार्य के साथ साथ पाठ्य पुस्तकें भी निशुल्क वितरण की व्यवस्था की गई थी। उत्तीर्ण छात्रों को छात्रवृति दिये जाने की व्यवस्था की गई थी।

भारत सरकार ने 1986 में नई शिक्षा नीति राष्ट्र विकास के लिए प्रकाशित की। जिसके अनुसार शिक्षण केवल चार दीवारों के बीच की एक जड़ प्रक्रिया न रहकर देश के सर्वांगीण विकास को गतिशील और ठोस बनाने और राष्ट्र एकता अपनी पुरातन सभ्यता और भारतीय संस्कारों के अनुसार इस देश के विद्यार्थी को आधुनिक शिक्षा प्रवाह से इस तरह अवगत कराया जाये ताकि वे सब इस देश के आदर्श नागरिक बन सकें।

इस प्रकार इस बात की आवश्यकता थी कि इन अन्तरों को समाप्त करके ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जाये थी जिसमें गरीब एवं अमीर के बच्चे एक ही बैच पर बैठकर शिक्षा प्राप्त कर सके तभी हमारे राष्ट्रीय नैतिक आदेशों को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए नई शिक्षा नीति 1986 पर गंभीरता से विचार किया जाना उचित होगा।

भारतीय संविधान अनुच्छेद 45 में बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। भारतीय संविधान के भौतिक कर्तव्यों में कहा गया है कि 6–14 वर्ष की आयु के आयु के बच्चों के माता–पिता या अभिभावक या संरक्षक को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए।

इसी क्रम में आगे बढ़ते हुये 2008 ई. में भारत सरकार ने "निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बिल 2008–09 पारित किया था।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 1 अप्रेल 2010 से लागू हो गया। निजी स्कूलों में पच्चीस फीसदी बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने की बाध्यता माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा एक से आठ तक में लागू होगी। इसके लिए राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि किन बच्चों को निःशुल्क प्रवेश मिल सकता है। निजी स्कूलों को इन बच्चों का शुल्क राज्य सरकार से मिलेगा स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव अ अशोक सम्पतराम ने प्रारम्भिक शिक्षा आयुक्त को भेजे आदेश में स्पष्ट किया है कि गैर सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दुर्बल वर्ग तथा असुविधाग्रस्त समूह के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। जिन निजी विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित हो रही है। उनमें भी पच्चीस फीसदी बच्चों को निःशुल्क पढ़ने वाले बच्चों के शुल्क का पुनर्भरण सरकार करेगी, जो कि संबंधित विद्यालय द्वारा बालकों से प्रभावित वास्तविक रकम या राजकीय विद्यालयों में प्रति बालक व्यय हो रहे खर्च के आधार पर दिया जाएगा।

समस्या कथन का औचित्यः

प्रत्येक अनुसंधान जिस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार प्रत्येक शोध कार्य भी अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। इस दृष्टि से यह शोध कार्य निम्न पक्षों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है।

समस्या कथनः

"शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रति निजी विद्यालयों के अध्यापकों तथा अध्ययनरत विद्यार्थियों के अभिभावकों की अभिवृत्ति का अध्ययन"

संकियात्मक शब्दावली

प्रस्तुत समस्या को सुस्पष्ट एवं सुनिश्चित रूप प्रदान करने के लिए समस्या पारिभाषिक शब्दों को विवेचित करना निश्चित ही सामयिक होगा।

- **निःशुल्क शिक्षाः** ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जहाँ पर बच्चों से किसी प्रकार का शुल्क या पूंजी ग्रहण न की जाये वह निःशुल्क शिक्षा है।
- **अनिवार्य शिक्षाः** ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें माता–पिता का यह दायित्व हो कि वह अपने 6 से 124 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलाने के लिए शाला में नामांकित करवाये एवं शाला में शिक्षक उन बच्चों को जिम्मेदारी से शिक्षा प्रदान करें एवं बालक शिक्षा पूर्ण किये अध्ययन न रोकें।
- **अभिवृतिः** मन की वह विशेष वृति जो किसी व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति, संस्था या विचार के प्रति हमारे आचरण का स्वरूप निर्धारित करती है, जिसके कारण हम इन वस्तुओं के प्रति अपनी कोई विशेष धारणा अथवा विचार बना लेते हैं, अभिवृत्ति कहलाती है।
- **शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010ः** राज्य में स्थित सभी गैर सरकारी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटें दुर्बल वर्ग व अभावग्रस्त समूह के बच्चों के लिए आरक्षित होगीं।

किसी भी समस्या पर शोध कार्य करने से पहले शोधकर्ता को उसके मुख्य निर्धारण करना चाहिए क्योंकि बिना उद्देश्यों के निर्धारण के शोधकर्ता उस पागल व्यक्ति के समान है, जो अपना गन्तव्य स्थान नहीं जानता है। उद्देश्यों को स्पष्ट कर लेने से कार्य को गति एवं शक्ति मिलती है। जिससे वह शोधकार्य पूर्णता को प्राप्त होता है। शोधकर्ता ने प्रस्तुत शोध के निम्न उद्देश्य निर्धारित किये हैं।

1. शिक्षा का अधिनियम के प्रति सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
2. शिक्षा अधिकार अधिनियम के प्रति गैर–सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों की अभिवृत्ति।

परिकल्पनाः–

1. शिक्षा के अधिनियम के प्रति सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों की अभिवृत्ति में सहसम्बन्ध पाया जाता है।
2. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रति गैर सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों में सहसम्बन्ध पाया जाता है।

शोध विधिः– सर्वेक्षण विधि अपनाई गयी है।

जनसंख्याः–

जनसंख्या से तात्पर्य अनुसंधान क्षेत्र की सभी इकाईयाँ अध्ययन हेतु चुनी जाये। शोधार्थी ने अपने शोध कार्य में जनंसख्या के अन्तर्गत जयपुर जिले के सरकारी व गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को चुना है।

न्यादर्शः–

प्रस्तुत लघु शोध अध्ययन में जयपुर जिले के शहरी क्षेत्र के निजी विद्यालयों के 500 शिक्षकों की अभिवृत्ति का अध्ययन।

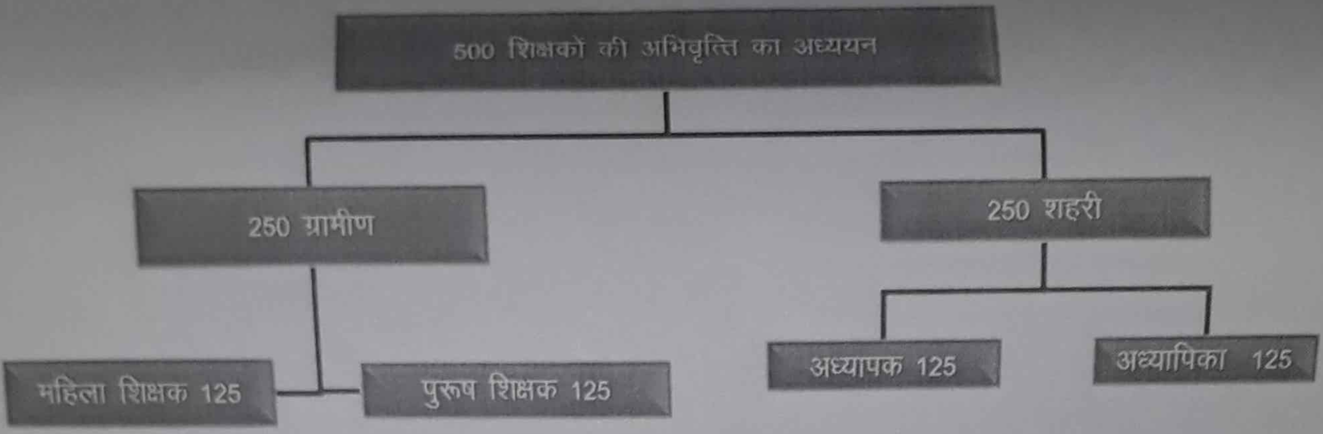

परिसीमाएँ

कोई भी शोध कार्य तब तक नहीं किया जा सकता जब तक सीमा क्षेत्र निर्धारित न हो जाये क्योंकि सीमा रहित शोधकार्य गहनता से नहीं किया जा सकता है।

प्रस्तुत शोध में उपयुक्त उपकरण–

शोधकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत लघुशोध में निम्नांकित उपकरणों का प्रयोग किया गया है–

1. नि:शुल्क शिक्षा व शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रति अभिवृत्ति मापनी।
2. अनिवार्य शिक्षा व शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रति अभिवृत्ति मापनी

प्रस्तुत शोध में शोधकर्त्ता द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रति माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की अभिवृत्ति का अध्ययन।

सर विलियम हटर (1882) : 1882 में भारत में चार्टट एक्ट की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए विलियम हन्टर भारत आये। उन्होने भारत मे अध्ययन में यह पाया की बालको की शिक्षा का स्तर काफी कम है तथा बालिकाओं की शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। अतः समाज में स्त्री पुरूष शिक्षा का अनुपात काफी कम था। इसलिए उन्होंने अध्ययन के बाद शिक्षा स्तर को स्पष्ट करके बालिका शिक्षा को निःशुल्क करने की सिफारिश की थी।

डॉ. जाकिर हुसैनः (1935–38) 1935 में भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रान्तों में कांग्रेस की सरकारों का गठन हुआ। इस वक्त गांधीजी ने ''हरिजन'' में लिखा है कि – ''शिक्षा से मेरा मतलब व्यक्ति तथा बालक के सर्वागीण विकास से हैं। जिनके लिए प्रत्येक विद्यालय में प्रबन्धन का कार्य सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए उस वक्त जाकिर साहब जामिया मिलिया इस्लमिया विद्यालय के प्रधानाचार्य थे, जिन्होने देश के समुचित विकास के उद्देश्यों के लिए एवं लोगों में जागृति लाने के लिए शिक्षा को आधार माना उन्होनें वर्धा क्षेत्र में अशिक्षा के कारणों की जानकारी प्राप्त करके इसके समाधान के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की सिफारिश की थी।

गुलिस्तान केरावाला (1965):– कक्षा वातावरण एवं विद्यालय के प्रकार के संबंध में विद्यार्थियों की अभिवृति का अध्ययन। शोध का उद्देश्य कक्षा वातावरण एवं विद्यालय के विभिन्न प्रबन्धकीय प्रकार को विद्यालय की नीतियों को निर्धारित करते हैं का अध्ययन करता था। निष्कर्ष में पाया कि विद्यालय के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृत्ति पर कक्षा कक्ष वातावरण एवं शिक्षक के संबंधों का प्रभाव पड़ता है।

जर्नार्दन रेड्डी (1992): श्री जनार्दन रेड्डी ने अपनी समीक्षा अध्ययनों में यह पाया कि प्राथमिक स्तर पर जो निःशुल्क शिक्षा एवं शिशु कल्याण योजनाऐं (आंगनबाड़ी) है व सही गति से संचालित नहीं है। निःशुल्क एवं अनिवार्य होने के बावजूद भी समाज में अनुचित जाति जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग के बालक–बालिका शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। क्योंकि ग्रामिण क्षेत्रों में विद्यालयों की व्यवस्था काफी कम है। जिनमें 6–7 वर्ष के बच्चों को 4–5 किलो मीटर पैदल जाना पड़ता है। जिससे वे शिक्षा अध्ययन बीच में ही छोड़ देते हैं।

गुप्ता–सुमन (2003): ''टीचिंग कोम्पीटेंसी विकसित करने में ऑसवेल के एडवान्स आर्गनाइजर मॉडल की प्रभावशीलता का अध्ययन किया गया। यह एक प्रयोगात्मक अध्ययन था जिससे कक्षा–कक्ष परिस्थितियों में परम्परागत तरीके द्वारा छात्राध्यापकों में टीचिंग कॉम्पीटेसी विकसित करने का तुलनात्मक अध्ययन किया गया।

मूरे, आर.टी. (2004): ''माध्यमिक स्तर पर शिक्षक की प्रभावशीलता एवं पठनक्रिया पर व्यक्तित्व एवं अभिव्यक्ति के मध्य सह–संबंध का अध्ययन किया।

अंजू गुप्ता (2006–07): इन्होने माध्यमिक स्तर के सरकारी एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि भावात्मक उपलब्धि एवं बुद्धि में यह संबंध का अध्ययन किया। निष्कर्ष रूप में इन्होनें पाया कि सरकारी एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, भावात्मक उपलब्धि एवं बुद्धि उपलब्धि में यह संबंध नहीं पाया जाता है।

सतीश कुमार (2010) ने विभिन्न प्रकार के अध्यापकों की अध्यापन अभिवृत्ति एवं समायोजन का अध्ययन करने हेतु अभिवृत्ति मापनी एवं समायोजन मापनी का प्रयोग किया तथा निष्कर्ष रूप

टिनोवॉ जॉन चार्ल्स 1999 : ''एडवोकेसी एण्ड ऑफ एज्यूकेशन ए प्लीडिंग स्केल एप्रोच टू इकूवल प्रोटेक्सन लिटिकेशन'' विषय पर कॉलेज विश्वविद्यालय में पी.एचडी. विषय पर शोध कार्य चार्ल्स ने 1999 में किया था।

1. ओड, एल.के. (1988.89) ''शिक्षा के नूतन आयाम'' राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ, जयपुर।

2. अग्निहोत्री, रविन्द्र एवं ओड़ एल.के. (1982) ''भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्याएँ'', रिसर्च पब्लिकेशन्स इन सोशल साइंसेस, नई दिल्ली।

3. अग्रवाल, जे.सी. (2003) ''एज्यूकेशन रिसर्च इन इक्ट्रोडेक्शन'', आर्य बुक डिपो, नई दिल्ली।

4. बेस्ट जे. डब्ल्यू (1973) ''रिसर्च इन एजूकेशन'' प्रिटिंग हॉल प्रा.लि., न्यूयॉर्क।

5. भटनागर, सुरेश (1977) ''शिक्षा मनोविज्ञान'' लायल बुक डिपो, मेरठ।

6. भटनागर, आर.पी.भटनागर, मीनाक्षी (2007)''शिक्षा अनुसंधान'' लायल बुक डिपो, मेरठ।

Webliography

1- www.rteindia.com

2- www.bhaskar.com/rte_law_indian_government

3- cityreporter.jaipur@epatrika.com